

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मु0 जयपुर

क्रमांक:-एफ-4/वित्त/संस्था/2016/ ५९५८

दिनांक:- १५-१०-१६

कार्यालय-आदेश

निगम की विभिन्न ईकाईयों में कार्यरत समस्त प्रबन्धक (वित्त) की दिनांक 26.10.2016 को प्रातः 09.30 बजे एक मिटिंग का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें वित्तीय समस्याओं के निराकरण, कर्मचारियों एवं विभिन्न फर्मों को दिये जाने वाले अग्रिम समायोजन, पेच्चान/सी.पी.एफ. के लम्बित प्रकरण, लम्बित अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा के निस्तारण इत्यादि विषय पर चर्चा की जावेगी। अतः समस्त प्रबन्धक (वित्त) संलग्न विवरण पत्र में अंकित सूचनाओं के साथ मिटिंग हॉल मुख्यालय में आवश्यक रूप से उपस्थित होवें।

संलग्न:-एक

महा प्रबन्धक (वित्त/संस्था)

क्रमांक:-एफ-4/वित्त/संस्था/2016/ ५९५८ दिनांक:- १५-१०-१६

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1— निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम मु0 जयपुर।
 - 2— निजी सचिव, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन), रा.रा.प.प.निगम मु0 जयपुर।
 - 3— निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, रा.रा.प.प.निगम मु0 जयपुर।
 - 4— महा प्रबन्धक (क्रय-भण्डार), रा.रा.प.प.निगम जयपुर।
 - 5— सचिव (निगम), रा.रा.प.प.निगम मु0 जयपुर।
 - 6— उप महा प्रबन्धक (आई.टी.) रापनि मुख्यालय जयपुर को भेजकर लेख है कि इस आदेश को निगम वेबसाईट पर अपलोड करावें।
 - 7— संयुक्त महा प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प.निगम मु0 जयपुर।
 - 8— उप महा प्रबन्धक (बजट), रा.रा.प.प.निगम मु0 जयपुर।
 - 9— मुख्य उत्पादन प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक / प्रबन्धक(वित्त) रा.रा.प.प.निगम
-
- 10— कार्यकारी प्रबन्धक (जन सम्पर्क), रा.रा.प.प.निगम, मु0जयपुर।
 - 11— आदेश पत्रावली।

महा प्रबन्धक (वित्त/संस्था)

दिनांक 26.10.16 को आयोजित मिटिंग में साथ लाई जाने वाली सूचनायें एवं विचार विमर्श के बिन्दु

1. कर्मचारियों के विरुद्ध बकाया चल रहे अग्रिम का विवरण पत्र मय वर्ष में किये गये सामायोजन सहित। संबंधित पंजिका भी साथ लावें।

2. विभिन्न फर्मों के विरुद्ध बकाया चल रहे अग्रिम का विवरण पत्र मय वर्ष में किये गये सामायोजन सहित।

3. सेवानिवृत कर्मियों के बकाया पेन्शन प्रकरण एवं GPF Final Refund प्रकरण, CPF Final Refund, EPF पेन्शन योजना की स्थिति।

4. वर्षवार लम्बित आंतरिक अंकेक्षण / A.G. पैरा की स्थिति / पालना।

5. पुलिस, आबकारी, कारागार, MLA, MP, पत्रकार आदि से सम्बन्धित सूचना हर माह की 10 तारीख तक भिजवा दी जावे। यदि नहीं भिजवाई है तो वर्तमान माह तक की साथ लावे।

6. प्रत्येक माह के का फण्ड मांग पत्र, बैंक शेष (पास-बुक एवं पुस्तकों के अनुसार) अंकित करते हुये प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में आवश्यक रूप से प्रेषित की जावें, ताकि वेतन, कर आदि के फण्ड समय पर प्रेषित किये जावे। फण्ड मांग पत्र में वास्तविक व्यय के आंकड़े गणना कर सही प्रेषित किये जावे। प्रत्येक माह का वास्तविक विवरण भी आगामी माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रेषित किये जावें। उक्त को सुनिश्चित करते हुये शेष रही सूचनायें साथ लावें।

7. CPF (भविष्य निधि) खाता संख्या आवंटन के लम्बित समर्त प्रकरणों की सूची एवं दस्तावेज।

8. बैंक समाधान / संकलन शाखा से सम्बन्धित सूचनाएं।

9. केन्टीन स्टालधारियों के विरुद्ध बकाया की स्थिति। जिन प्रकरणों में वाद लम्बित है उनमें न्यायालय वाद की वर्तमान स्थिति भी साथ लावें।

10. पोस्टल मेल बकाया की स्थिति भी माहवार साथ लावें।

11. Financial Analysis भी साथ लावें।

12. भौतिक सत्यापन के बकाया पैरा की स्थिति।

13. वी.आई.पी. प्रकरणों की स्थिति।

14. दिनांक 01.01.12 एवं इसके बाद भर्ती कार्मिकों के निर्देशानुसार CPF खाते आवंटित करवाना तथा UAN आवंटित करने की वस्तुस्थिति।

15. वर्तमान कार्यरत CPF कार्मिकों के UAN की वस्तुस्थिति से अवगत करावें।

16. ग्रीन कार्ड से बकाया की स्थिति एवं वसूली सहित विवरण पत्र।

17. राज्य सरकार एवं अन्य सरकारी संस्थाओं को उपलब्ध करवाई वाहनों के बकाया की पूर्ण सूचना तथा वसूली के प्रयास।

18. Employee Deposit Link Insurance (ई.डी.एल.आई.) योजना के अन्तर्गत बकाया बीमा दावों की सूची भी साथ लावें।

19. खर्चों पर नियन्त्रण एवं इनमें कमी के सकारात्मक सुझाव।

20. आगार स्तर पर टिकटें, सामान आदि की समुचित सुरक्षा व्यवस्था एवं नकारा सामान का समय पर निस्तारण।

21. बुकिंग घरों, टिकिट स्टोर, बैग शाखा तथा राजस्व संग्रहण पंजिकाओं आदि के नियमित निरीक्षण की स्थिति एवं तत्सम्बन्धी विचार विमर्श।